

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 43/2024

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी कम अभिहित
अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थी
नौरत मल कुमावत पुत्र रतन लाल निवासी बालाजी मन्दिर के पास, गांव थांवला,
देओगढ नागौर।
मैसर्स:- श्री राम रेस्टोरेन्ट एण्ड फास्ट फुड, एनएच-89, ग्राम थांवला।

आदेश

दिनांक :04.12.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20-05-24 को मैसर्स श्री राम रेस्टोरेन्ट एण्ड फास्ट फुड, एनएच-89, ग्राम थांवला पर खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2990 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/624/एक्ट /2024/652 दिनांक 30.05.25 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त नौरत मल कुमावत पुत्र रतन लाल निवासी बालाजी मन्दिर के पास, गांव थांवला, देओगढ नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 09-09-24 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता ने दिनांक 07.07.25 वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी ने दिनांक 04.08.25 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया अप्रार्थी किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का उतरदाता निर्माता नहीं है इसलिए इस अनुच्छेद में वर्णित किसी भी उल्लंघन के लिए उतरदाता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उक्त प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/624/एक्ट /2024/652 दिनांक 30.05.25के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी नौरत मल कुमावत पुत्र रतन लाल निवासी बालाजी मन्दिर के पास, गांव थांवला, देओगढ नागौर पर रुपये 30,000/- अक्षरे तीस हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

नागौर (राजस्थान)